रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-04072023-247017
CG-MH-E-04072023-247017

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 466]	**नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 3, 2023/आषाढ़ 12, 1945**
No. 466]	**NEW DELHI, MONDAY, JULY 3, 2023/ASHADHA 12, 1945**

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 3 जुलाई, 2023

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

(विवाद सुलझाने की वैकल्पिक व्यवस्था) (संशोधन) विनियम, 2023

सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/137.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मर्चेंट बैंककार) विनियम, 1992, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) विनियम, 1993, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) विनियम, 1993, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अभिरक्षक) विनियम, 1996, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) विनियम, 1999, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सामूहिक विनिधान स्कीम) विनियम, 1999, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [अपने ग्राहक को जानिये (केवाईसी) संबंधी रजिस्ट्रीकरण एजेंसी] विनियम, 2011, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [विनिधान (निवेश) सलाहकार] विनियम, 2013, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अनुसंधान विश्लेषक) विनियम, 2014, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) विनियम, 2014, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रियल इस्टेट निवेश न्यास) विनियम, 2014, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियम, 2019,

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पोर्टफोलियो प्रबंधक) विनियम, 2020 तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (वॉल्ट प्रबंधक) विनियम, 2021 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्,-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विवाद सुलझाने की वैकल्पिक व्यवस्था) (संशोधन) विनियम, 2023 कहा जा सकेगा।

2. ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मर्चेंट बैंककार) विनियम, 1992 में संशोधन

3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (मर्चेंट बैंककार) विनियम, 1992 में, विनियम 28क के बाद निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"विवाद सुलझाना

28ख. यदि किसी मर्चेंट बैंकर (बैंककार) द्वारा प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) में किए जाने वाले कार्यों की वजह से या उन कार्यों के सिलसिले में उस मर्चेंट बैंकर (बैंककार) और उसके ग्राहक के बीच कोई विवाद या मतभेद हो जाए या फिर उनके द्वारा कोई दावा किया जाए, तो ऐसे मामले, बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई प्रकिया के अनुसार, विवाद सुलझाने हेतु बनाई गई व्यवस्था (जिसमें सुलह कराना और/या मध्यस्थता आदि करना शामिल है) के समक्ष रखे जाएंगे।"

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) विनियम, 1993 में संशोधन

4. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) विनियम, 1993 में, विनियम 15क के बाद निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"विवाद सुलझाना

15ख. यदि किसी निर्गम रजिस्ट्रार (रजिस्ट्रार टू एन इश्यू) और शेयर अंतरण अभिकर्ता (शेयर ट्रांसफर एजेंट) द्वारा प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) में किए जाने वाले कार्यों की वजह से या उन कार्यों के सिलसिले में उस निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता तथा उसके ग्राहक एवं निवेशक के बीच कोई विवाद या मतभेद हो जाए या फिर उनके द्वारा कोई दावा किया जाए, तो ऐसे मामले, बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई प्रकिया के अनुसार, विवाद सुलझाने हेतु बनाई गई व्यवस्था (जिसमें सुलह कराना और/या मध्यस्थता आदि करना शामिल है) के समक्ष रखे जाएंगे।"

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) विनियम, 1993 में संशोधन

5. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (डिबेंचर न्यासी) विनियम, 1993 में, विनियम 14 के बाद निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"विवाद सुलझाना

14क. (1) यदि किसी डिबेंचर न्यासी (डिबेंचर ट्रस्टी) द्वारा प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) में किए जाने वाले कार्यों की वजह से या उन कार्यों के सिलसिले में उस डिबेंचर न्यासी तथा उस डिबेंचर न्यासी को नियुक्त करने वाले निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) के बीच कोई विवाद या मतभेद हो जाए या फिर उनके द्वारा कोई दावा किया जाए, तो ऐसे मामले, बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई प्रकिया के अनुसार, विवाद सुलझाने हेतु बनाई गई व्यवस्था (जिसमें सुलह कराना और/या मध्यस्थता आदि करना शामिल है) के समक्ष रखे जाएंगे।

(2) डिबेंचर न्यासी या डिबेंचर न्यासी को नियुक्त करने वाले निगमित निकाय (बॉडी कारपोरेट) द्वारा उठाए गए किसी नुकसान आदि या किए गए किन्हीं खर्चों की भरपाई न्यास (ट्रस्ट) की संपत्ति में से नहीं की जाएगी।"

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) [म्यूचुअल फंड] विनियम, 1996 में संशोधन

6. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996 में,

   (i) विनियम 59क के बाद निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

   "विवाद सुलझाना

59ख. यदि किसी आस्ति प्रबंध कंपनी (असेट मैनेजमेंट कंपनी) द्वारा प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) में किए जाने वाले कार्यों की वजह से या उन कार्यों के सिलसिले में उस आस्ति प्रबंध कंपनी तथा निवेशकों के बीच कोई विवाद या मतभेद हो जाए या फिर उनके द्वारा कोई दावा किया जाए, तो ऐसे मामले, बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई प्रकिया के अनुसार, विवाद सुलझाने हेतु बनाई गई व्यवस्था (जिसमें सुलह कराना और/या मध्यस्थता आदि करना शामिल है) के समक्ष रखे जाएंगे ।"

(ii) चौथी अनुसूची में, खंड (vi) में, शब्दों "आस्ति प्रबंध कंपनी या आस्ति प्रबंध कंपनी के अधिकारियों या आस्ति प्रबंध कंपनी द्वारा प्रत्यायोजित किसी व्यक्ति द्वारा उपगत कोई हानि या नुकसान या व्यय की न्यास संपत्ति में से पूर्ति नहीं की जाएगी" के स्थान पर शब्द, चिह्न तथा अंक *"आस्ति प्रबंध कपंनी (असेट मैनेजमेंट कंपनी) द्वारा या आस्ति प्रबंध कंपनी के अधिकारियों द्वारा या जिस किसी व्यक्ति को आस्ति प्रबंध कंपनी द्वारा कार्य सौंपे गए हों उसके द्वारा उठाए गए किसी नुकसान आदि या किए गए किन्हीं खर्चों (जिनमें विनियम 59ख के अनुसार निवेशकों के दावों या विवादों को सुलझाने में हुए खर्चे भी शामिल हैं) की भरपाई न्यास (ट्रस्ट) की संपत्ति में से नहीं की जाएगी"* आ जाएंगे ।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अभिरक्षक) विनियम, 1996 में संशोधन

7. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अभिरक्षक) विनियम, 1996 में, विनियम 17 के बाद निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"विवाद सुलझाना

17क. यदि किसी अभिरक्षक (कस्टोडियन) द्वारा प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) में किए जाने वाले कार्यों की वजह से या उन कार्यों के सिलसिले में उस अभिरक्षक तथा उसके ग्राहक के बीच कोई विवाद या मतभेद हो जाए या फिर उनके द्वारा कोई दावा किया जाए, तो ऐसे मामले, बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई प्रकिया के अनुसार, विवाद सुलझाने हेतु बनाई गई व्यवस्था (जिसमें सुलह कराना और/या मध्यस्थता आदि करना शामिल है) के समक्ष रखे जाएंगे ।"

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) विनियम, 1999 में संशोधन

8. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (साख निर्धारण एजेंसियाँ) विनियम, 1999 में, विनियम 14 के बाद निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"विवाद सुलझाना

14क. यदि किसी साख निर्धारण (क्रेडिट रेटिंग) एजेंसी द्वारा प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) में किए जाने वाले कार्यों की वजह से या उन कार्यों के सिलसिले में उस साख निर्धारण एजेंसी तथा उसके ग्राहक के बीच कोई कोई विवाद या मतभेद हो जाए या फिर उनके द्वारा कोई दावा किया जाए, तो ऐसे मामले, बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई प्रकिया के अनुसार, विवाद सुलझाने हेतु बनाई गई व्यवस्था (जिसमें सुलह कराना और/या मध्यस्थता आदि करना शामिल है) के समक्ष रखे जाएंगे ।"

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सामूहिक विनिधान स्कीम) [कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम] विनियम, 1999 में संशोधन

9. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सामूहिक विनिधान स्कीम) विनियम, 1999 में,

(i) विनियम 14 के बाद निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"विवाद सुलझाना

14क. यदि किसी सामूहिक निवेश प्रबंध कंपनी द्वारा प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) में किए जाने वाले कार्यों की वजह से या उन कार्यों के सिलसिले में उस सामूहिक निवेश प्रबंध कंपनी तथा निवेशकों के बीच कोई विवाद या मतभेद हो जाए या फिर उनके द्वारा कोई दावा किया जाए, तो ऐसे मामले, बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई प्रकिया के अनुसार, विवाद सुलझाने हेतु बनाई गई व्यवस्था (जिसमें सुलह कराना और/या मध्यस्थता आदि करना शामिल है) के समक्ष रखे जाएंगे ।"

(ii) पाँचवी अनुसूची में, खंड 3 में, शब्दों *"सामूहिक विनिधानकर्ता प्रबंध कंपनी या इसके अधिकारियों या सामूहिक विनिधानकर्ता प्रबंध कंपनी द्वारा प्रत्यायोजित किसी व्यक्ति द्वारा उपगत हानि या नुकसान या व्यय की पूर्ति न्यास संपत्ति में से नहीं की जायेगी"* के स्थान पर शब्द, चिह्न तथा अंक *"सामूहिक निवेश*

प्रबंध कपंनी (कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी) द्वारा या उसके अधिकारियों द्वारा या जिस किसी व्यक्ति को सामूहिक निवेश प्रबंध कंपनी द्वारा कार्य सौंपे गए हों उसके द्वारा उठाए गए किसी नुकसान आदि या किए गए किन्हीं खर्चों (जिनमें विनियम 14क के अनुसार निवेशकों के दावों या विवादों को सुलझाने में हुए खर्चे भी शामिल हैं) की भरपाई न्यास (ट्रस्ट) की संपत्ति में से नहीं की जाएगी" आ जाएंगे।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [अपने ग्राहक को जानिये (केवाईसी) संबंधी रजिस्ट्रीकरण एजेंसी] विनियम, 2011 में संशोधन

10. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [अपने ग्राहक को जानिये (केवाईसी) संबंधी रजिस्ट्रीकरण एजेंसी] विनियम, 2011 में, विनियम 16क के बाद निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"विवाद सुलझाना

16ख. यदि किसी 'अपने ग्राहक को जानिये (केवाईसी) संबंधी रजिस्ट्रीकरण एजेंसी' (केआरए) द्वारा प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) में किए जाने वाले कार्यों की वजह से या उन कार्यों के सिलसिले में उस केआरए तथा किसी मध्यवर्ती (इंटरमीडियरी) के बीच कोई विवाद या मतभेद हो जाए या फिर उनके द्वारा कोई दावा किया जाए, तो ऐसे मामले, बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई प्रकिया के अनुसार, विवाद सुलझाने हेतु बनाई गई व्यवस्था (जिसमें सुलह कराना और/या मध्यस्थता आदि करना शामिल है) के समक्ष रखे जाएंगे।"

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012 में संशोधन

11. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [आनुकल्पिक विनिधान (निवेश) निधियाँ] विनियम, 2012 में, विनियम 25 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-

"विवाद सुलझाना

25. यदि किसी आनुकल्पिक नवेश (विनिधान) निधि या प्रबंधक द्वारा प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) में किए जाने वाले कार्यों की वजह से या उन कार्यों के सिलसिले में निवेशकों तथा उस आनुकल्पिक निवेश निधि या प्रबंधक (मैनेजर) के बीच कोई विवाद या मतभेद हो जाए या फिर उनके द्वारा कोई दावा किया जाए, तो ऐसे मामले, बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई प्रकिया के अनुसार, विवाद सुलझाने हेतु बनाई गई व्यवस्था (जिसमें सुलह कराना और/या मध्यस्थता आदि करना शामिल है) के समक्ष रखे जाएंगे:

परंतु यह कि यदि आनुकल्पिक निवेश (विनिधान) निधि एक न्यास (ट्रस्ट) हो, तो प्रबंधक या प्रबंधक के अधिकारियों द्वारा द्वारा उठाए गए किसी नुकसान आदि या किए गए किन्हीं खर्चों (जिनमें निवेशकों के दावों या विवादों को सुलझाने में हुए खर्चे भी शामिल हैं) की भरपाई न्यास (ट्रस्ट) की संपत्ति में से नहीं की जाएगी।"

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [विनिधान (निवेश) सलाहकार] विनियम, 2013 में संशोधन

12. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [विनिधान (निवेश) सलाहकार] विनियम, 2013 में, विनियम 21 में, उप-विनियम (4) में, शब्दों तथा चिह्नों *"विनिधान (निवेश) सलाहकार और उसके ग्राहक के बीच किसी विवाद को माध्यस्थम् के जरिये अथवा किसी विनियामक प्राधिकरण, जैसा लागू हो, द्वारा इस प्रयोजनार्थ प्राधिकृत या नियुक्त लोकपाल (अधिनिर्णायक) के माध्यम से सुलझाया जायेगा"* के स्थान पर शब्द तथा चिह्न *"यदि निवेश सलाहकार और उसके ग्राहक के बीच कोई विवाद हो जाए, तो उसे बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई प्रकिया के अनुसार, विवाद सुलझाने हेतु बनाई गई व्यवस्था (जिसमें सुलह कराना और/या मध्यस्थता आदि करना शामिल है) के समक्ष रखा जाएगा अथवा उसे किसी विनियामक प्राधिकरण (रेग्यूलेटरी अथॉरिटी), जैसा लागू हो, द्वारा इस प्रयोजन से प्राधिकृत किए गए या नियुक्त किए गए लोकपाल (अधिनिर्णायक) के जरिए सुलझाया जाएगा"* आ जाएंगे।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अनुसंधान विश्लेषक) विनियम, 2014 में संशोधन

13. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अनुसंधान विश्लेषक) विनियम, 2014 में, विनियम 26 के बाद निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"विवाद सुलझाना

26क. यदि किसी अनुसंधान विश्लेषक (रिसर्च एनालिस्ट) द्वारा प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) में किए जाने वाले कार्यों की वजह से या उन कार्यों के सिलसिले में उस अनुसंधान विश्लेषक या अनुसंधान एंटिटी तथा

उसके ग्राहक के बीच कोई विवाद या मतभेद हो जाए या फिर उनके द्वारा कोई दावा किया जाए, तो ऐसे मामले, बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई प्रकिया के अनुसार, विवाद सुलझाने हेतु बनाई गई व्यवस्था (जिसमें सुलह कराना और/या मध्यस्थता आदि करना शामिल है) के समक्ष रखे जाएंगे ।"

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) [इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स] विनियम, 2014 में संशोधन

14. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) विनियम, 2014 में, विनियम 22 के बाद निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"विवाद सुलझाना

22क. (1) यदि किसी निवेश प्रबंधक द्वारा प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) में किए जाने वाले कार्यों की वजह से या उन कार्यों के सिलसिले में निवेशकों तथा उस निवेश प्रबंधक के बीच कोई विवाद या मतभेद हो जाए या फिर उनके द्वारा कोई दावा किया जाए, तो ऐसे मामले, बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई प्रकिया के अनुसार, विवाद सुलझाने हेतु बनाई गई व्यवस्था (जिसमें सुलह कराना और/या मध्यस्थता आदि करना शामिल है) के समक्ष रखे जाएंगे ।

(2) निवेश प्रबंधक या निवेश प्रबंधक के अधिकारियों द्वारा उठाए गए किसी नुकसान आदि या किए गए किन्हीं खर्चों (जिनमें निवेशकों के दावों या विवादों को सुलझाने में हुए खर्चे भी शामिल हैं) की भरपाई न्यास (ट्रस्ट) की संपत्ति में से नहीं की जाएगी ।"

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रियल इस्टेट निवेश न्यास) विनियम, 2014 में संशोधन

15. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रियल इस्टेट निवेश न्यास) विनियम, 2014 में, विनियम 22 के बाद निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"विवाद सुलझाना

22क. (1) यदि किसी प्रबंधक द्वारा प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) में किए जाने वाले कार्यों की वजह से या उन कार्यों के सिलसिले में निवेशकों तथा उस प्रबंधक के बीच कोई विवाद या मतभेद हो जाए या फिर उनके द्वारा कोई दावा किया जाए, तो ऐसे मामले, बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई प्रकिया के अनुसार, विवाद सुलझाने हेतु बनाई गई व्यवस्था (जिसमें सुलह कराना और/या मध्यस्थता आदि करना शामिल है) के समक्ष रखे जाएंगे ।

(2) प्रबंधक या प्रबंधक के अधिकारियों द्वारा उठाए गए किसी नुकसान आदि या किए गए किन्हीं खर्चों (जिनमें निवेशकों के दावों या विवादों को सुलझाने में हुए खर्चे भी शामिल हैं) की भरपाई न्यास (ट्रस्ट) की संपत्ति में से नहीं की जाएगी ।"

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 में संशोधन

16. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 में,

(i) विनियम 40 में, उप-विनियम (8) में, चिह्न तथा शब्द ": परंतु यह और कि इस उप-विनियम के अधीन किसी दावे, मतभेद या विवाद की दशा में, उसे माध्यस्थम् (आर्बिट्रेशन) के लिए निर्देशित कर दिया जाएगा और माध्यस्थम् द्वारा उसका विनिश्चय (निर्णय) किया जाएगा, जैसा स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) की उप-विधियों (बाय-लॉज़) और/या विनियमों में उपबंधित है" हट जाएंगे ।

(ii) विनियम 67 में, उप-विनियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-

"(5) यदि सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी द्वारा प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) में किए जाने वाले कार्यों की वजह से या उन कार्यों के सिलसिले में उस सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटिटी तथा उसके निवेशक के बीच कोई विवाद या मतभेद हो जाए या फिर उनके द्वारा कोई दावा किया जाए, तो ऐसे मामले, बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई प्रकिया के अनुसार, विवाद सुलझाने हेतु बनाई गई व्यवस्था (जिसमें सुलह कराना और/या मध्यस्थता आदि करना शामिल है) के समक्ष रखे जाएंगे ।"

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियम, 2019 में संशोधन

17. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियम, 2019 में, विनियम 24 के बाद निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"विवाद सुलझाना

24क. यदि किसी अभिहित निक्षेपागार सहभागी (डेसिग्नेटेड डिपॉज़िटरी पार्टिसिपेंट) द्वारा प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) में किए जाने वाले कार्यों की वजह से या उन कार्यों के सिलसिले में किसी विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक तथा उस अभिहित निक्षेपागार सहभागी के बीच कोई विवाद या मतभेद हो जाए या फिर उनके द्वारा कोई दावा किया जाए, तो ऐसे मामले, बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई प्रकिया के अनुसार, विवाद सुलझाने हेतु बनाई गई व्यवस्था (जिसमें सुलह कराना और/या मध्यस्थता आदि करना शामिल है) के समक्ष रखे जाएंगे।"

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पोर्टफोलियो प्रबंधक) विनियम, 2020 में संशोधन

18. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पोर्टफोलियो प्रबंधक) विनियम, 2020 में, विनियम 22 के बाद निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"विवाद सुलझाना

22क. यदि किसी पोर्टफोलियो प्रबंधक द्वारा प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) में किए जाने वाले कार्यों की वजह से या उन कार्यों के सिलसिले में निवेशकों तथा उस पोर्टफोलियो प्रबंधक के बीच कोई विवाद या मतभेद हो जाए या फिर उनके द्वारा कोई दावा किया जाए, तो ऐसे मामले, बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई प्रकिया के अनुसार, विवाद सुलझाने हेतु बनाई गई व्यवस्था (जिसमें सुलह कराना और/या मध्यस्थता आदि करना शामिल है) के समक्ष रखे जाएंगे।"

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (वॉल्ट प्रबंधक) विनियम, 2021 में संशोधन

19. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (वॉल्ट प्रबंधक) विनियम, 2021 में, विनियम 16 के बाद निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-

"विवाद सुलझाना

16क. यदि किसी वॉल्ट प्रबंधक द्वारा प्रतिभूति बाजार (सिक्यूरिटीज़ मार्केट) में किए जाने वाले कार्यों की वजह से या उन कार्यों के सिलसिले में उस वॉल्ट प्रबंधक तथा किसी हिताधिकारी स्वामी (बेनिफिशियल ओनर) के बीच कोई विवाद या मतभेद हो जाए या फिर उनके द्वारा कोई दावा किया जाए, तो ऐसे मामले, बोर्ड द्वारा निर्धारित की गई प्रकिया के अनुसार, विवाद सुलझाने हेतु बनाई गई व्यवस्था (जिसमें सुलह कराना और/या मध्यस्थता आदि करना शामिल है) के समक्ष रखे जाएंगे।"

बबीता रायुडू, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./247/2023-24]

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 3rd July, 2023

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION MECHANISM) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2023

SEBI/LAD–NRO/GN/2023/137.—In exercise of the powers conferred by section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) Regulations, 1992, Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993, Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) Regulations, 1993, Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996, Securities and Exchange Board of India (Custodian) Regulations, 1996, Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) Regulations, 1999, Securities and Exchange Board of India (Collective Investment Schemes)

Regulations, 1999, Securities and Exchange Board of India {KYC (Know Your Client) Registration Agency} Regulations, 2011, Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012, Securities and Exchange Board of India (Investment Advisers) Regulations, 2013, Securities and Exchange Board of India (Research Analysts) Regulations, 2014, Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) Regulations, 2014, Securities and Exchange Board of India (Real Estate Investment Trusts) Regulations, 2014, Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2019, Securities and Exchange Board of India (Portfolio Managers) Regulations, 2020, Securities and Exchange Board of India (Vault Managers) Regulations, 2021, namely, —

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Alternative Dispute Resolution Mechanism) (Amendment) Regulations, 2023.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

Amendments to the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) Regulations, 1992

3. In the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) Regulations, 1992, after regulation 28A, the following regulation shall be inserted, namely, —

“*Dispute Resolution.*

28B. All claims, differences or disputes between a merchant banker and its client arising out of or in relation to the activities of the merchant banker in the securities market shall be submitted to a dispute resolution mechanism that includes mediation and/or conciliation and/or arbitration, in accordance with the procedure specified by the Board.”

Amendments to the Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993

4. In the Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993, after regulation 15A, the following regulation shall be inserted, namely, —

“*Dispute Resolution.*

15B. All claims, differences or disputes between a registrar to an issue and share transfer agent and its client and investor arising out of or in relation to the activities of the registrar to an issue and share transfer agent in the securities market shall be submitted to a dispute resolution mechanism that includes mediation and/or conciliation and/or arbitration, in accordance with the procedure specified by the Board.”

Amendments to the Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) Regulations, 1993

5. In the Securities and Exchange Board of India (Debenture Trustees) Regulations, 1993, after regulation 14, the following regulation shall be inserted, namely, —

“*Dispute Resolution.*

14A. (1) All claims, differences or disputes between a debenture trustee and a body corporate which has appointed the debenture trustee, arising out of or in relation to the activities of the debenture trustee in the securities market shall be submitted to a resolution mechanism that includes mediation and/or conciliation and/or arbitration, in accordance with the procedure specified by the Board.

(2) No loss or damage or expenses incurred by the debenture trustee or the body corporate which has appointed the debenture trustee shall be met out of the trust property.”

Amendments to the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996

6. In the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996,

(i) after regulation 59A, the following regulation shall be inserted, namely, —

“*Dispute Resolution.*

59B. All claims, differences or disputes between the asset management company and investors arising out of or in relation to the activities of the asset management company in the securities market shall be submitted to a dispute resolution mechanism that includes mediation and/or conciliation and/or arbitration, in accordance with the procedure specified by the Board.”

(ii) in the Fourth Schedule, in clause (vi), after the words “*delegated by the asset management company*” the words, figures and symbols “*, including those in relation to resolution of claims or disputes of investors in terms of regulation 59B,*” shall be inserted.

Amendments to the Securities and Exchange Board of India (Custodian) Regulations 1996

7. In the Securities and Exchange Board of India (Custodian) Regulations, 1996, after regulation 17, the following regulation shall be inserted, namely, —

“*Dispute Resolution.*

17A. All claims, differences or disputes between a custodian and its client arising out of or in relation to the activities of the custodian in the securities market shall be submitted to a dispute resolution mechanism that includes mediation and/or conciliation and/or arbitration, in accordance with the procedure specified by the Board.”

Amendments to the Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) Regulations, 1999

8. In the Securities and Exchange Board of India (Credit Rating Agencies) Regulations, 1999, after regulation 14, the following regulation shall be inserted, namely, —

“*Dispute Resolution.*

14A. All claims, differences or disputes between a credit rating agency and its client arising out of or in relation to the activities of the credit rating agency in the securities market shall be submitted to a dispute resolution mechanism that includes mediation and/or conciliation and/or arbitration, in accordance with the procedure specified by the Board.”

Amendments to the Securities and Exchange Board of India (Collective Investment Schemes) Regulations, 1999

9. In the Securities and Exchange Board of India (Collective Investment Schemes) Regulations, 1999,

(i) after regulation 14, the following regulation shall be inserted, namely, —

“*Dispute Resolution.*

14A. All claims, differences or disputes between the Collective Investment Management Company and investors arising out of or in relation to the activities of the Collective Investment Management Company in the securities market shall be submitted to a resolution mechanism that includes mediation and/or conciliation and/or arbitration, in accordance with the procedure specified by the Board.”

(ii) in the Fifth Schedule, in clause 3, after the words “*delegated by the Collective Investment Management Company*” the words, figures and symbols “*, including those in relation to resolution of claims or disputes of investors in terms of regulation 14A,*” shall be inserted.

Amendments to the Securities and Exchange Board of India {KYC (Know Your Client) Registration Agency} Regulations, 2011

10. In the Securities and Exchange Board of India {KYC (Know Your Client) Registration Agency} Regulations, 2011, after regulation 16A, the following regulation shall be inserted, namely, —

“*Dispute Resolution.*

16B. All claims, differences or disputes between a KRA and an Intermediary arising out of or in relation to the activities of the KRA in the securities market shall be submitted to a dispute resolution mechanism that includes mediation and/or conciliation and/or arbitration, in accordance with the procedure specified by the Board.”

Amendments to the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012

11. In the Securities and Exchange Board of India (Alternative Investment Funds) Regulations, 2012, regulation 25 shall be substituted with the following, namely, —

“*Dispute Resolution.*

25. All claims, differences or disputes between investors and the Alternative Investment Fund or the Manager arising out of or in relation to the activities of the Alternative Investment Fund or the Manager in the securities market shall be submitted to a dispute resolution mechanism that includes mediation and/or conciliation and/or arbitration, in accordance with the procedure specified by the Board:

Provided that if the Alternative Investment Fund has been established as a trust, then no loss or damage or expenses incurred by the Manager or officers of the Manager, including those in relation to resolution of claims or disputes of investors, shall be met out of the trust property.”

Amendments to the Securities and Exchange Board of India (Investment Advisers) Regulations, 2013

12. In the Securities and Exchange Board of India (Investment Advisers) Regulations, 2013, in regulation 21, in sub-regulation (4), the words "*may be resolved through arbitration*" shall be substituted with the words and symbols "*shall be submitted to a dispute resolution mechanism that includes mediation and/or conciliation and/or arbitration in accordance with the procedure specified by the Board*".

Amendments to the Securities and Exchange Board of India (Research Analysts) Regulations, 2014

13. In the Securities and Exchange Board of India (Research Analysts) Regulations, 2014, after regulation 26, the following regulation shall be inserted, namely, —

"*Dispute Resolution.*

26A. All claims, differences or disputes between a research analyst or research entity and its client arising out of or in relation to the activities of the research analyst or research entity in the securities market shall be submitted to a dispute resolution mechanism that includes mediation and/or conciliation and/or arbitration, in accordance with the procedure specified by the Board."

Amendments to the Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) Regulations, 2014

14. In the Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) Regulations, 2014, after regulation 22, the following regulation shall be inserted, namely, —

"*Dispute Resolution.*

22A. (1) All claims, differences or disputes between investors and the investment manager arising out of or in relation to the activities of the investment manager in the securities market shall be submitted to a resolution mechanism that includes mediation and/or conciliation and/or arbitration, in accordance with the procedure specified by the Board.

(2) No loss or damage or expenses incurred by the investment manager or officers of the investment manager, including those in relation to resolution of claims or disputes of investors, shall be met out of the trust property."

Amendments to the Securities and Exchange Board of India (Real Estate Investment Trusts) Regulations, 2014

15. In the Securities and Exchange Board of India (Real Estate Investment Trusts) Regulations, 2014, after regulation 22, the following regulation shall be inserted, namely, —

"*Dispute Resolution.*

22A. (1) All claims, differences or disputes between investors and the manager arising out of or in relation to the activities of the manager in the securities market shall be submitted to a dispute resolution mechanism that includes mediation and/or conciliation and/or arbitration, in accordance with the procedure specified by the Board.

(2) No loss or damage or expenses incurred by the manager or officers of the manager, including those in relation to resolution of claims or disputes of investors, shall be met out of the trust property."

Amendments to the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

16. In the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015,

(i) in regulation 40, in sub-regulation (8), the words and symbols *": Provided further that in case of any claim, difference or dispute under this sub-regulation the same shall be referred to and decided by arbitration as provided in the bye-laws and/or regulations of the stock exchange(s)*" shall be omitted.

(ii) in regulation 67, sub-regulation (5) shall be substituted with the following, namely, —

"*(5) All claims, differences or disputes between the listed entity and its investor arising out of or in relation to the activities of the listed entity in the securities market shall be submitted to a dispute resolution mechanism that includes mediation and/or conciliation and/or arbitration, in accordance with the procedure specified by the Board.*"

Amendments to the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2019

17. In the Securities and Exchange Board of India (Foreign Portfolio Investors) Regulations, 2019, after regulation 24, the following regulation shall be inserted, namely, —

"*Dispute Resolution.*

24A. All claims, differences or disputes between a foreign portfolio investor and a designated depository participant arising out of or in relation to the activities of the designated depository participant in the securities market shall be submitted to a dispute resolution mechanism that includes mediation and/or conciliation and/or arbitration, in accordance with the procedure specified by the Board."

Amendments to the Securities and Exchange Board of India (Portfolio Managers) Regulations, 2020

18. In the Securities and Exchange Board of India (Portfolio Managers) Regulations, 2020, after regulation 22, the following regulation shall be inserted, namely, —

"*Dispute Resolution.*

22A. All claims, differences or disputes between investors and the portfolio manager arising out of or in relation to the activities of the portfolio manager in the securities market shall be submitted to a dispute resolution mechanism that includes mediation and/or conciliation and/or arbitration, in accordance with the procedure specified by the Board."

Amendments to the Securities and Exchange Board of India (Vault Managers) Regulations, 2021

19. In the Securities and Exchange Board of India (Vault Managers) Regulations, 2021, after regulation 16, the following regulation shall be inserted, namely, —

"*Dispute Resolution.*

16A. All claims, differences or disputes between a vault manager and a beneficial owner arising out of or in relation to the activities of the vault manager in the securities market shall be submitted to a dispute resolution mechanism that includes mediation and/or conciliation and/or arbitration, in accordance with the procedure specified by the Board."

BABITHA RAYUDU, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./247/2023-24]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.